

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

तारीख पेशी : 04-03-2025

कमला कुमारी पुत्री श्री बिशन सिंह, निवासी गांव धारब्रहमपुरी, डा० आलमपुर व उप-तहसील
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता गांव धारब्रहमपुरी, डा० आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव धारब्रहमपुरी, डा० आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा
(हि०प्र०)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थिया कमला कुमारी पुत्री श्री बिशन सिंह, निवासी गांव धारब्रहमपुरी,
डा० आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि
उसका जन्म दिनांक 01-02-1953 को गांव धारब्रहमपुरी, डा० आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर में हुआ है
लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जगरूप नगर में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे
प्रार्थिया अब करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को
प्रार्थिया कमला कुमारी पुत्री श्री बिशन सिंह के जन्म दिनांक 01-02-1953 को ग्राम पंचायत जगरूप नगर में
पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकदमा की पैरवी हेतु
निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर
आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

तारीख पेशी : 04-03-2025

जगदीश चंद पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी गांव लियुण्डा, डा० सकोह, उप-तहसील आलमपुर, जिला
कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता महाल लियुण्डा, डा० सकोह, उप-तहसील आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी महाल लियुण्डा, डा० सकोह, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में जगदीश चंद पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी गांव लियुण्डा, डाठ सकोह, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम जगदीश चंद है परन्तु महाल लियुण्डा, डाठ सकोह आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दूलो अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल लियुण्डा, डाठ सकोह आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने माता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम दूलो उपनाम जगदीश चंद दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

तारीख पेशी : 04-03-2025

सुलोचना देवी पत्नी श्री हरी दास, निवासी मसहवार, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता निवासी मसहवार, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी मसहवार, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सुलोचना देवी पत्नी श्री हरी दास, निवासी मसहवार, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने राजस्व अभिलेख में अपने पति के नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम हरी दास है परन्तु महाल मसहवार मौजा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पति का नाम हरि राम अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया महाल मसहवार, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने पति के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के पति का नाम हरि राम उपनाम हरि दास दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 31-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

तारीख पेशी : 04—03—2025

सकुन्तला देवी पत्नी ध्रुव देव, निवासी गांव अद्राणा, डा० मरेरा, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता निवासी अद्राणा, डा० मरेरा, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी अद्राणा, डा० मरेरा, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सकुन्तला देवी पत्नी ध्रुव देव, निवासी गांव अद्राणा, डा० मरेरा, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना—पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम सकुन्तला देवी है परन्तु महाल निवासी गांव अंद्राणा, डा० मरेरा, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम अरुणा कुमारी अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया महाल मरेरा, उप—तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम अरुणा कुमारी उपनाम सकुन्तला देवी दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04—03—2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 31—01—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

तारीख पेशी : 04—03—2025

आशा देवी पुत्री श्री शक्ति राम, निवासी गांव कमांद, डा० कर्णघट, उप—तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता निवासी कमांद, डा० कर्णघट, उप–तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी कमांद, डा० कर्णघट, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आशा देवी पुत्री श्री शक्ति राम, निवासी गांव कमांद, डा० कर्णघट, उप–तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम आशा देवी है परन्तु महाल निवासी गांव कमांद, डा० कर्णघट, उप–तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम आशो देवी अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया महाल कमांद, उप–तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम आशो देवी उपनाम आशा देवी दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04–03–2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03–02–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

तारीख पेशी : 04–03–2025

रविन्द्र शर्मा पुत्र श्री गुलेरा राम, निवासी गांव अद्राणा, डा० गंडड मरेरा, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता निवासी अद्राणा, डा० गंडड मरेरा, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी अद्राणा, डा० गंडड मरेरा, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में रविन्द्र शर्मा पुत्र श्री गुलेरा राम, निवासी गांव अद्राणा, डा० गंडड मरेरा, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम रविन्द्र शर्मा है परन्तु महाल निवासी गांव अद्राणा, डा० गंडड मरेरा, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रविन्द्र नाथ अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल मरेरा, उप–तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने माता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम रविन्द्र नाथ उपनाम रविन्द्र शर्मा दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04–03–2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03–02–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

तारीख पेशी : 04–03–2025

रजत शर्मा पुत्र श्री माधो राम पुत्र श्री मोती राम, निवासी गांव टिकर जीहण, डाठ मरेरा, मौजा एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी अद्राणा, डाठ मरेरा, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी टिकर जीहण, डाठ मरेरा, मौजा एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में रजत शर्मा पुत्र श्री माधो राम पुत्र श्री मोती राम, निवासी गांव टिकर जीहण, डाठ मरेरा, मौजा एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम रजत शर्मा है परन्तु महाल निवासी गांव टिकर जीहण, डाठ मरेरा, मौजा एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रजत कुमार अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल मरेरा, मौजा एवं उप–तहसील आलमपुर के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम रजत कुमार उपनाम रजत शर्मा दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04–03–2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03–02–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

तारीख पेशी : 04–03–2025

मनोरमा देवी पत्नी श्री होशियार सिंह, निवासी गांव जमुला, डा० बरडाम, उप–तहसील आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता गांव जमुला, डा० बरडाम, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव जमुला, डा० बरडाम, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थिया मनोरमा देवी पत्नी श्री होशियार सिंह, निवासी गांव जमुला, डा० बरडाम, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने प्रार्थना–पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 06–05–1954 को गांव जमुला, डा० बरडाम, उप–तहसील आलमपुर में हुआ है। लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बरडाम में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया मनोरमा देवी पत्नी श्री होशियार सिंह के जन्म दिनांक 06–05–1954 को ग्राम पंचायत बरडाम में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकदमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04–03–2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01–02–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

प्रार्थी श्री विपिन सिंह आयु 34 पुत्र श्री बलदेव सिंह, गांव सददा, डा० लाहडु, उप–तहसील आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०) व श्रीमती दोलत रानी आयु 19 पुत्री श्री राम विलास, निवासी गांव भौनरी, डा०
चितराकोट, उत्तर प्रदेश 210205 व पत्नी श्री विपिन सिंह आयु 34 पुत्र श्री बलदेव सिंह, गांव सददा, डा०^०
लाहडु, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत लाहडु, उप–तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा
(हि०प्र०)।

विषय.— प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी श्री विपिन सिंह आयु 34 पुत्र श्री बलदेव सिंह, गांव सददा, डा० लाहडु, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) व श्रीमती दोलत रानी आयु 19 पुत्री श्री राम विलास, निवासी गांव भौनरी, डा० चितराकोट, उतर प्रदेश 210205 व पत्नी श्री विपिन सिंह आयु 34 पुत्र श्री बलदेव सिंह, गांव सददा, डा० लाहडु, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने प्रार्थना—पत्र मय अन्य दस्तावेज पेश करके प्रार्थना की है कि उसकी शादी दिनांक 12—07—2024 को हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार ग्राम पंचायत लाहडु, उप—तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर में हुई है लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत लाहडु में नहीं करवा सके। जिसे प्रार्थी अब करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री विपिन सिंह व दोलत रानी के विवाह दिनांक 12—07—2024 के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 04—03—2025 को पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30—01—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।
